न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 3, गाजियाबाद।

दांडिक निगरानी सं० 165/2017 **संगणक पंजियन सं०** 172/2017

UPGZ010162162017

अंकित गुप्ता-------------**प्रति**----------------राज्य

<u>22.07.2026</u>–

1. पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता वर्ष 2020 से लगातार अनुपस्थित है। यह निगरानी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकितः 28.10.2015 के विरुद्ध योजित की गयी है, जिसके माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रोटेस्ट प्रार्थना–पत्र निरस्त किया गया है।

2. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् एक विस्तृत आदेश पारित किया गया है। अतः आक्षेपित आदेश विधिसम्मत आदेश है, उसमें कोई प्रथमदृष्ट्या त्रुटि प्रकट नहीं होती है न ही प्रत्यक्षतः कोई त्रुटि प्रकट होती है तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार का उल्लंघन भी नहीं किया गया है। अतः हस्तगत निगरानी निरस्त कियो जाने योग्य है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः हस्तगत दांडिक निगरानी निरस्त की जाती है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पुष्ट किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 22.07.2026

(डॉ० दिनेश चन्द्र शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 3,
जनपद–गाजियाबाद।
J.O. Code–UP1529

Digitally signed by Dinesh Chandra Shukla
Date: 2026.07.22 16:05:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court